मितानिन कल्याण कोष अंतर्गत योजनाओं की जानकारी

प्रदेश में मितानिन कार्यक्रम अंतर्गत सभी मितानिनों, मितानिन प्रशिक्षकों, हेल्पडेस्क मितानिनों, ब्लॉक समन्वयकों के लिए "मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष" अंतर्गत निम्न लिखित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है –

1- शिक्षा हेतु प्रोत्साहन – इस योजना के अंतर्गत मितानिन को कक्षा–8वीं उत्तीर्ण करने पर 2,000 रू., कक्षा–10वीं उत्तीर्ण करने पर 5,000 रू., कक्षा–12वीं एवं डिग्री उत्तीर्ण करने पर 10,000 रू. की प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।

2- 75% शिक्षा हेतु प्रोत्साहन (10वीं तथा 12वीं कक्षा) – कक्षा 10वीं अथवा 12वीं में 75% या 75% से अधिक नम्बर आने पर कक्षा 10वीं के लिए 25,000 रू. एवं कक्षा 12वीं के लिए 50,000 रू. की प्रोत्साहन राशि मितानिनों के बच्चों को दी जावेगी।

3- मितानिन मातृत्व सहायता राशि – इस योजना के अंतर्गत मितानिन को 15,000 रू. की मातृत्व सहायता राशि देने का प्रावधान है।

4- कन्या विवाह सहायता (विधवा एवं परित्यक्ता मितानिन) – इस योजना के अंतर्गत विधवा एवं परित्यक्ता मितानिन को 20,000 की सहायता राशि दी जाती है। विवाह के समय कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

5- वृद्धावस्था सहायता – मितानिनों की आयु 60 वर्ष पुरे होने पर 20,000 रू. की सहायता राशि दी जाती है। जिन मितानिनों का स्वावलंबन पेंशन योजना में नाम दर्ज है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

6- मितानिन की मृत्यु उपरांत सहायता – इस योजना के अंतर्गत परिवार को 20,000 रू सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु के समय मितानिन की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। हत्या/आत्महत्या वाले प्रकरणों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

7- मितानिन के पति की मृत्यु उपरांत सहायता – इस योजना के अंतर्गत बीमारी से मृत्यु होने पर 50,000 रू. एवं दुर्घटना से मृत्यु होने पर 95,000 रू. की सहायता राशि दी जाती है। मृत्यु के समय मितानिन के पति की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। हत्या/आत्महत्या वाले प्रकरणों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

8- मितानिनों को गंभीर बीमारियों हेतु आकस्मिक सहायता – इस योजना अंतर्गत मितानिन व परिवार के सदस्य माता–पिता, सास–ससूर एवं बच्चों में गंभीर बीमारी के ईलाज करवाने में मद्द की जाती है। बीमारी ईलाज शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क कराने का प्रयास किया जाता है।